"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2012—श्रावण 12, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्रमांक ई-1-14/2011/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1981 आवंटन वर्ष के, श्री विवेक कुमार ढांड, भा.प्र.से. को, आवंटन वर्ष से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, दिनांक 01-06-2012 से रिक्ति उपलब्ध होने पर, दिनांक 13-07-2012 को छानबीन समिति (Screening Committee) की अनुशंसा अनुसार, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सेवा के अपेक्स वेतनमान (Apex Scale) रु. 80000/- (निश्चित) में पदोन्नति प्रदान की जाती है.

2. श्री विवेक कुमार ढांड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3. श्री ढांड द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11030/22/2007-एआईएस-II, दिनांक 19-06-2012 के द्वारा अपेक्स वेतनमान में पदोन्नति हेतु दिनांक 01-07-2012 से एक (01) रिक्ति का निर्धारण किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2012

क्रमांक ई 7-40/2004/2.—डॉ. बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से., आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 24-10-2011 से 31-10-2011 तक (08 दिवस) (दिनांक 23-10-11 व 01-11-11 के राजपत्रित अवकाश सहित), दिनांक 30-01-2012 से 10-02-2012 तक (12 दिवस) (दिनांक 29-01-12 व 11, 12-02-12 के राजपत्रित अवकाश सहित) एवं दिनांक 19-04-2012 से 05-05-2012 तक (17 दिवस) (दिनांक 06-05-2012 के राजपत्रित अवकाश सहित) कुल 37 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में डॉ. अनन्त को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनन्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जून 2012

क्रमांक 735/279/2012/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार चांदे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 26-03-2012 से 31-03-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-03-2012 एवं 01-04-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार चांदे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अरूण कुमार चांदे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार चांदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुंद गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2012

क्रमांक 737/505/2012/1-8/स्था.—श्री श्रवण कुमार सारस्वत, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 02-07-2012 से 07-07-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 01 एवं 08-07-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रवण कुमार सारस्वत, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सारस्वत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रवण कुमार सारस्वत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2012

क्रमांक 739/504/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 02-07-2012 से 07-07-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 01 एवं 08-07-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजुरकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजुरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2012

क्रमांक 741/511/अव./2012/1-8/स्था.—श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 30-05-2012 से 08-06-2012 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09 एवं 10-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती कर्मेला लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कर्मेला लकड़ा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2012

क्रमांक 743/501/2012/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 25-06-2012 से 30-06-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-06-2012 एवं 01-07-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. सी. लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2012

क्रमांक 745/514/2012/1-8/स्था.—श्री एस. सी. श्रीमाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 18-06-2012 से 28-06-2012 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16 एवं 17-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. सी. श्रीमाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. सी. श्रीमाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सी. श्रीमाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्रमांक 2287/360/2010/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1298/360/2010/1/2, दिनांक 25-04-2012 द्वारा श्री पी. रमेष कुमार, भा.प्र.से. (WB :1986) को अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति समाप्ति के उपरांत, दिनांक 26-04-12 से 23-06-2012 तक (59 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री पी. रमेष कुमार को दिनांक 26-04-12 से 28-05-2012 तक (33 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2012

क्रमांक ई 7-02/2005/1/2.—श्रीमती ऋतु सैन (भा.प्र.से.), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18-07-2012 से 11-01-2013 तक (178 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ में दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2013 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती सैन आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती सैन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2012

फा. क्र. 5275/21-ब/छ.ग./12.—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम क्रमांक 29) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता श्री पी. एस. क्षत्री को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का तकनीकी सदस्य नियुक्त करता है.

F. No. 5275/XXI-B/C.G./12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastam Abhikaran Adhiniyam, 1983 (Act No. 29 of 1983) the State Government hereby appoints Shri P. S. Kshatriya Retd. Engineer in Chief as the Technical Member of the Chhattisgarh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge of the office for a period of three years or until he attains the age of 65 years whichever is earlier.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2012

फा. क्र. 5437/1906/21-ब/छ.ग./12.—श्री समीर कुजूर आत्मज श्री जार्ज रंजीत कुजूर, को व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2838/842/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 07-04-2012 के पृष्ठांकन के बिन्दु क्रमांक 1 में गृह जिला "बिलासपुर" के स्थान पर "जशपुर" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्र. 5842/1883/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय से भिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में नियुक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, पैनल लायर्स के फीस भुगतान हेतु इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3472/1268/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 25-04-2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त आदेश की पृष्ठ क्रमांक 2 के अंतिम पंक्ति इस संबंध में होने वाला व्यय "मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता-3572/मुफस्सिल स्थापना-010-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां-006-अभिभाषकों के शुल्क" के स्थान पर मांग संख्या-29-2014-114-3572-10-008 "शासकीय अभिभाषकों को फीस" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2012

क्रमांक 5456/1962/21-ब/छ.ग./2012.—श्री कौशल प्रसाद स्वर्णकार, अधिवक्ता/नोटरी जिला मुख्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम, विलोपित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्रमांक 5839/2013/21-ब/छ.ग./2012.—श्री रामाराव गोवर्धन, अधिवक्ता/नोटरी, जिला दुर्ग (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम, विलोपित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2012

क्रमांक 5118/पंग्राविवि/22/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विकास आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

2. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 3 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण.

(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण.

(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में टाईप लेखन का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

3. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 4 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, तथा

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

4. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 5 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

10वीं बोर्ड परीक्षा तथा किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

No. 5118/पंग्राविवि/22/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor to Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Development Commissioner Panchayat and Rural Development, Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Services Recruitment Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 1, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University.

(2) Should have passed Computer Hindi Typing examination with speed of 25 wpm along with speed of 60 wpm in Hindi Stenography from any recognized Board/Institute, and

(3) Should have passed one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and should have speed of 5,000 key depression per hour in data entry."

2. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 3, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed Higher Secondary or (10+2) or passed 1st year Graduation Course from any recognized Board/University.

(2) From any recognized Board/Institution o: Shorthand and Typing Council :—

(a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer.

(b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer.

(c) Passed certificate course c Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer.

(3) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognised institute and should have speed of 10,000 key depression per hour in data entry."

3. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 4, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed (10+2) examination from any recognized Board.

(2) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute, and

(3) Should have speed of 5,000 key depression per hour in Hindi Computer typing."

4. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 5, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board.

Or

Should have passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject.

(2) Should have one year Diploma in Data Entry Operator Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2012

क्रमांक 1863/988/2012/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17-01-2012 के अनुसार, बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के उद्भूत रिक्तियों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती हेतु, जिला स्तर पर पदस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारियों/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करता है.

2. ये नोडल अधिकारी जिला स्तर पर पदवार नियुक्त किये गये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की त्रैमासिक जानकारी जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विभाग को 10 फरवरी, 10 मई, 10 अगस्त एवं 10 नवम्बर तक उपलब्ध करायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2012

क्रमांक 1000/1164/33/पर्य/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006 के नियम-3 के अन्तर्गत एकल खिड़की प्रणाली (Single window scheme) के तहत् नवीन पर्यटन प्रयोजनाओं के शीघ्र अनुमोदन एवं गतिरोध दूर करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता के लिए श्री नारायण सिंह, महानिदेशक, राज्य प्रशासनिक अकादमी, रायपुर (मुख्य सचिव के समकक्ष) को अध्यक्ष नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 1-5/2012/(6) 52.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-01-02/2012/एफ/2, दिनांक 31-05-2012 के द्वारा श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान वन संरक्षक, रायपुर की सेवायें वन विभाग से लेते हुये ग्रामोद्योग विभाग को प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, भा.व.से. की सेवायें ग्रामोद्योग विभाग में लेते हुए उनको प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्रमांक एफ-9-20/2012/तक.शि./42.—छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर 2007 में प्रकाशित तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 5-115/06/42 दिनांक 01 दिसम्बर 2007 के द्वारा लागू छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजना के बिन्दु क्र.-06 (संस्था प्रमुख/प्राचार्य के लिये निर्देश) के सरल क्रमांक (3) को विलोपित कर, उसके स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है.

बिन्दु क्र.-06 (संस्था प्रमुख/प्राचार्य के लिये निर्देश) के सरल क्रमांक (3) :— "ऐसे छात्र छात्राओं के आवेदन, जिन्हें पूर्व के सेमेस्टर में छात्रवृत्ति मिल रही थी और जिन्होंने पूर्व सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिया है, संस्था प्रमुख/प्राचार्य द्वारा पूर्व सेमेस्टर की अंकसूची का परीक्षण कर, स्वीकृत किए जाएंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्रमांक/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 308/डी-15/116/2003-2004, दिनांक 13-05-2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अंक "2012" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "01-04-2012 से 31-03-2014" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्रमांक/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3253/रायपुर दिनांक 13-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 13th July 2012

No./D-15/116/Part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Departmental Notification No. 308/D-15/116/2003-2004, dated 13-05-2004, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—
For the figure "2012", the figure and words "01-04-2012 to 31-03-2014" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक एफ 6-18/36/योजना/2012/203.—प्रदेश में मत्स्य विकारा कार्य अपेक्षानुकूल संचालित हो, इस हेतु मत्स्य विकास सलाहकार मंडल का गठन किया गया है. राज्य शासन एतद्द्वारा मत्स्य विकास सलाहकार मंडल के निम्नानुसार कार्य/दायित्व एवं अशासकीय सदस्यों की सदस्यता अवधि निर्धारित करता है.

1. **कार्य एवं दायित्व :**— मत्स्य विकास सलाहकार मंडल निम्न के संबंध में सुझाव तथा अनुशंसाएं दे सकेगी.

   1. प्रदेश के मछली पालन हेतु जलवायु क्षेत्र की परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए मत्स्योद्योग विकास एवं अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सुझाव देना.

   2. मछली पालन एवं उससे जुड़े कार्यों के विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों/कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव देना.

   3. मछली पालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यक्षेत्रों में आर्थिक निवेश बढ़ाने हेतु ऋण/साख की वर्तमान व्यवस्था एवं इसे सरल एवं किसानोन्मुखी बनाने के लिए सुझाव देना.

   4. सूखा एवं अल्प वर्षा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मछली पालन की गतिविधियों एवं संरक्षण के लिए उपाय सुझाना तथा ऐसे क्षेत्रों में लागू विभिन्न विकास मूलक कार्यक्रमों को समेकित कर, ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन द्वारा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में सुझाव देना.

   5. बाढ़ एवं जलाप्लावन से निरंतर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की समस्या निवारण हेतु सुझाव देना.

   6. मछली जल्द ही खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है, अतः उसके भंडारण एवं मूल्य संवर्धन तथा वर्तमान विपणन व्यवस्था एवं विपणन अधोसंरचना के विस्तार आदि का विकासोन्मुखी (प्रोग्रेसिव) बनाने के लिए सुझाव/अनुशंसाएं देना.

7. मछली पालन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देने एवं ज्ञान, कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकीय एवं विपणन सशस्तीकरण के लिए उपायों की अनुशंसाएं देना.

8. शिक्षित युवाओं को आकर्षित करने के लिए उपाय सुझाना, तालाबों/जलाशयों में प्रतिपूरक आहार को प्रोत्साहन और मिश्रित खेती (Mixed Farming) अंतर्गत मछली पालन को बढ़ावा देने एवं मत्स्य पालन के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु पद्धितियों की अनुशंसाएं देना.

9. स्थानीय समस्याओं/आवश्यकताओं के निराकरण हेतु अनुसंधान प्रारंभ करने कृषकों, प्रसार कार्यकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के मध्य बेहतर सामन्जस्य के उपाय/व्यवस्था सुझाना.

10. मछली पालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों में आदानों की आबाध आपूर्ति व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सुझाव देना.

11. ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में मछली पालन की उपयोगिता एवं आने वाली समस्या के निराकरण के उपाय सुझाना.

12. मछली पालन के अंतर्गत आवश्यक आदान वितरण एवं "कृषि मत्स्य स्नातकों" के उपयोग पर सुझाव देना.

13. पैतृक रूप से लगे मछली पालकों का एवं उनके सर्वांगीण विकास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना.

14. प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं किसानों के बीच बेहतर समन्वय हेतु उपाय सुझाना ताकि शासकीय योजनाओं का कृषकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके.

15. सलाहकार मंडल स्वप्रेरणा से या अन्य प्रकार से किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके निराकरण हेतु सझाव दे सकेगी.

- सलाहकार मंडल द्वारा दी गई अनुशंसाएं/सुझावों पर अंतिम निर्णय राज्य शासन का होगा.

2. **मत्स्य विकास सलाहकार मंडल की बैठकें :—**

1. मत्स्य विकास सलाहकार मंडल प्रत्येक तीन माह में अथवा वर्ष में कम से कम दो बार मंडल के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय व स्थानों पर बैठक करेगी, तथापि किसी तत्कालिक विषय पर चर्चा के लिए अध्यक्ष द्वारा अल्प सूचना पर आपात कालीन बैठक बुलाई जा सकती है. बशर्ते ऐसी बैठक की सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व अवश्य दी जावेगी.

2. सभी बैठकों की तिथि, समय व उनके आयोजन का स्थल निर्धारण सलाहकार मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जावेगी.

3. **मत्स्य विकास सलाहकार मंडल के अशासकीय मनोनित सदस्यों की "सदस्यता अवधि" :—**

1. अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल शासन आदेश नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष की होगी.

राज्य शासन अपने विशेष आदेश द्वारा सदस्यता अवधि को बढ़ा या सदस्यता समाप्त की जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3530 को दिनांक 05-06-2012 से 04-07-2012 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2012

क्रमांक एफ-1-10/31/छ.ग.सि.प्र.निर्वाचन नियम 2006/एस-2/2012.—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 82 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"83. **चुनाव याचिका प्रस्तुत करने हेतु प्रणाली, समय सीमा एवं शुल्क :—** निर्वाचन की अपनाई गई प्रक्रिया अथवा उसके परिणाम से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसके लिए यथोचित शुल्क देकर समय सीमा के अंदर निम्नलिखित अधिकारियों के समक्ष चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है :—

(एक) जल उपभोक्ता संघ की प्रबंधन समिति के सदस्य एवं इसके अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवाद में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) के समक्ष, याचिका प्रस्तुत की जाएगी.

(दो) 'वितरिका समिति' एवं 'परियोजना समिति' के सदस्य एवं अध्यक्ष/सभापति के चुनाव से संबंधित विवाद में संबंधित जिले के कलेक्टर (जिला दण्डाधिकारी) के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जाएगी.

(तीन) मतदान (चुनाव) के परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 30 दिवस की कालावधि के अंदर याचिका ग्रहण की जाएगी, उसके पश्चात् याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी.

(चार) उक्त याचिका प्रस्तुत करने हेतु याचिकाकर्त्ता द्वारा जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालन अभियंता के पास रु. 200.00 शुल्क जमा किया जाएगा तथा तत्पश्चात् कार्यपालन-अभियंता द्वारा यह राशि मद शीर्ष 0702-01 (राजस्व प्राप्तियों) में जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी एवं राजसात मानी जाएगी.

(पांच) संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय अंतिम एवं याचिकाकर्ता पर बंधनकारी होगा एवं किसी भी स्थिति में अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

(छः) किसी भी चुनाव के पूर्ण होने और चुनाव परिणामों की घोषणा की दशा में उपरोक्त उल्लिखित ऐसे समस्त प्रकरणों में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने की समय-सीमा चुनाव परिणामों की घोषणा के दिनांक से 30 दिवसों की होगी :

परंतु यदि याचिकाकर्त्ता संबंधित अधिकारी को ऐसी अवधि में याचिका प्रस्तुत नहीं कर पाने के पर्याप्त कारणों से संतुष्ट कर देता है तो निर्धारित 30 दिवस की अवधि के पश्चात् भी याचिका स्वीकार की जा सकेगी और कोई भी याचिका चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से 6 माह की अवधि के पश्चात् स्वीकार नहीं की जाएगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2012

क्रमांक एफ-1-10/31/छ.ग.सि.प्र.निर्वाचन नियम 2006/एस-2/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-06-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

Raipur the 25th June 2012

No. F-1-10/31/C.G. Sinchai Prabandhan Nirwachan Niyam 2006/S-2/2012.— In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabhandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 20 of 2006), the State Government, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Nirvachan Niyam, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After Rule 82, the following rule shall be added, namely :—

"83. **Manner, Time limit and Fee for filing election petition.**—Any person aggrieved by the result or procedure of election so adopted, may file an election petition, duly paying the fee therefore within the time limit and to officers as mentioned below :—

(i) Dispute regarding election of Water Users Association's Managing Committee's members and its President, the petition shall be filed with Sub-Divisional Officer (Revenue).

(ii) Dispute regarding election of 'Distributory Committee' and 'Project Committees' members and President/Chairperson, the petition shall be filed with Collector (District Magistrate) of concerned District.

(iii) From the date of declaration of polling result, a period of thirty days shall be reckoned to entertain the petition, failling which the petition shall not be entertained.

(iv) For filing the said petition, a fee of Rs. 200/- shall be deposited by the appellant to the concerned Executive Engineer, Water Resources Department and thereafter this fee shall be remitted by Executive Engineer under head 0702-01 (Revenue Receipts), which shall not be refundable in any case and shall be deemed as forfeited.

(v) The decision so awarded by the concerning officer, shall be final and binding on the petitioner and in any case no appeal shall be entertained.

(vi) In the event of completion of any election and declaration of election results, the time limit to file the election petition in all such cases as mentioned above, shall be thirty days from the date of declaration of election results :

Provided that any petition may be entertained after the prescribed period of thirty days if the petitioner satisfies the concerning officer that he had sufficient cause for not preferring the petition with in such period and no petition shall be entertained beyond a period of six months from the date of declaration of election results.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 01-54/स्था./31/2010.—छ.ग. जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम-1968 में अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियम-1968 में 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हकारी सेवा 05 वर्ष में 02 वर्ष की छूट प्रदान करते हुये, भर्ती नियम में अर्हकारी सेवा 03 वर्ष (कलेण्डर वर्ष 01-01-2012 से 31-12-2012 तक के लिए) की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2012

क्रमांक एफ 10-11/2012/16.—राज्य शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) एवं (बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के परिशिष्ट के भाग 3 में उल्लेखित "किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन" के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1206 (1960=100) के आधार आंकड़ों के साथ जुलाई 2010 से जून 2011 तक की अवधि में हुई 2985 औसत बिन्दुओं के कुल योग 4191 (1206 + 2985=4191 पाईंट) की वृद्धि को मूल वेतन के साथ विलय करने के उपरांत प्राप्त न्यूनतम वेतन की दरों का पुनरीक्षण कर न्यूनतम वेतन में 12.5 की वृद्धि करते हुए नवीन न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करना प्रस्तावित करता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिये जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से दो माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् विचार किया जावेगा.

ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची

तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र. (1)	कर्मचारियों का वर्ग (2)	न्यूनतम मजदूरी कीं दरें (3)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें (4)
1.	रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु. 58.90 किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रु. 329.84 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रु. 329.84 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा.	न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4191 (1960=100) (जुलाई 2010 से जून 2011 तक की अवधि का औसत) के ऊपर हुई वृद्धि के लिये प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से पिछले 12 माहों के औसत सूचकांक के आधार पर गणना की जाकर प्रति बिन्दु प्रति एक हजार बीड़ी बनाने पर एक पैसे की दर से देय होगा. प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना जुलाई से जून माह तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसके घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा राजपत्र में समय पर प्रकाशित की जावेगी.
2.	**रेलाई श्रमिक**		
अ.	**बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना**		
1.	लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य.	रुपये 33.67 प्रति हजार कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार
2.	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है.	रुपये 36.31 प्रति हजार कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार
ब.	**झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य**		
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रुपये 29.40 प्रति हजार कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार
2.	झिल्ली लगाना	रुपये 21.34 प्रति एक हजार कट्टों पर.	डेढ़ पैसे प्रति विन्दु प्रति चार हजार
3.	लेबल लगाना	रुपये 8.26 प्रति एक हजार कट्टों पर.	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रुपये 8.54 प्रति एक हजार कट्टों पर.	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार
स.	**एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो**		
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य.	रुपये 123.13 प्रति लाख बीड़ी पर	दो पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य.	रुपये 137.42 प्रति लाख बीड़ी पर	दो पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य.	रुपये 137.42 प्रति लाख बीड़ी पर	दो पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर

नोट :— बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले, तंबाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे.

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा.

1. **कुशल :—** ड्राईवर (चालक), (भारी वाहन), एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, स्टोर कीपर, हेड क्लर्क, गोडाउन कीपर.

2. **अर्धकुशल :—** बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्ठी वाला, ड्राईवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क.

3. **अकुशल :—** ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ीयों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक.

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन दर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित निम्नानुसार है.

क्र. (1)	कर्मचारियों का वर्ग (2)	मूल वेतन (3)	महंगाई भत्ता (4)	कुल वेतन प्रतिमाह (5)
1.	कुशल	4556.75	न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जुलाई 2010 से जून 2011 तक की अवधि में लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 4191 (1960=100) के ऊपर हुई वृद्धि के लिये प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर.	4556.75
2.	अर्धकुशल	4368.70		4368.70
3.	अकुशल	4182.55		4182.55

स्पष्टीकरण :—

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं.

2. परिवर्तनशील महंगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 4191 (1960=100) पर आधारित है. 4191 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तंभ 3 में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मानी जावेगी. 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी.

3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा.

4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाकू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा.

5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा.

6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षोभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 10-4/2010/16.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर दिनांक 04-03-2010 में हितग्राहियों के लिए सामूहिक विवाह योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :—

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) आवेदिका को विवाह के प्रस्तावित तिथि के पूर्व आवेदन करना होगा.

उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 10-12/2012/16.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" की धारा 62 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 275 (1) में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :—

"प्रत्येक नियोजक किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसे यह अधिनियम लागू होता है, इन नियमों के प्रारभ होने की तारीख पर, ऐसे प्रारंभ से तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी (समस्त सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम पदाधिकारी) को प्रारूप पैंतीस में एक प्रारंभिक विवरणी भेजेगा."

उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 10-20/2011/16.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2011/16, रायपुर, दिनांक 11-01-2012 में हितग्राहियों के लिए दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हिताधिकारियों को दुर्घटना में हुए इलाज के लिए होने वाले व्यय के रूप में मण्डल द्वारा चिकित्सा सहायता राशि रुपये 20,000/- अथवा इलाज में हुए वास्तविक व्यय जो कम हो संबंधित अस्पताल को प्रदाय किया जावेगा.

उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 10-21/2011/16.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-21/2011/16, रायपुर दिनांक 11-01-2012 में हितग्राहियों के लिए गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् प्रदत्त चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त रुपये 20,000/- तक गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना.

(iv) योजना में गंभीर बीमारी से तात्पर्य किडनी रोग, सिकलीन, (सिकलसेल एनीमिया) हृदयरोग, एड्स लकवा रोग, कैंसर एवं टीबी.

उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 10-30/2010/16.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर दिनांक 25-11-2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर दिनांक 25-11-2010 मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :—

मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :—

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु समूह की हो.

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :—

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 26 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो.

उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक एफ 10-37/2010/16.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-12-2010 द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम की धारा 31 (क) में निम्नानुसार संशोधन किया गया था :—

धारा 31 (क) प्रथम अपराध के लिये कारावास जिसकी अवधि 06 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 3000/- रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, और

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये कारावास जिसकी अवधि 01 वर्ष एवं जुर्माना 5000/- रुपये या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

परंतु जहां अपराधी को जुर्माना से दण्डित किया जाता है वहां जुर्माने की रकम 3000/- रुपये से कम नहीं होगी.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2012

क्रमांक-एफ 3-39/2012/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा राजस्व+पुलिस जिला सरगुजा के थाना राजपुर को राजस्व+पुलिस जिला बलरामपुर के क्षेत्राधिकार में अधिसूचित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2012

क्रमांक/एफ 1/27/दो गृह/भापुसे/2011—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को अपने छोटे बेटे की शादी एवं स्वयं के स्वास्थ्य के ईलाज हेतु दिनांक 11-06-2012 से दिनांक 07-07-2012 तक कुल 27 दिवस का अर्जित अवक[illegible] [illegible]ते हुए दिनांक 08-07-2012 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश के लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से. के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री संजय शर्मा, रा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को सौंपा जाता है.

3. श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2007—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, सुकमा को बहन की शादी हेतु दिनांक 15-06-2012 से दिनांक 29-06-2012 तक कुल 15 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय यादव, भा.पु.से., सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई को सौंपा जाता है.

3. श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, सुकमा, छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, सुकमा, छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्र सिंह, अवर सचिव.

गृह (जनगणना) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 7-2/गृह-दो/जन./2010.—नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के आदेश क्रमांक एस.ओ. 596 (E) दिनांक 15 मार्च, 2010 द्वारा देश में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया है.

नागरिक पंजीकरण के महारजिस्ट्रार की सहायता हेतु जिला/तहसील/स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों का डाटा बेस तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2010 से नियुक्त करते हैं.

क्र. (1)	पदाधिकारी (2)	प्राधिकार (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1.	जिला अध्यक्ष	जिला रजिस्ट्रार	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत
2.	प्रशासक/आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी.	स्थानीय रजिस्ट्रार	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत
3.	तहसीलदार	तहसील रजिस्ट्रार	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी/प्रशासक या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी.	स्थानीय रजिस्ट्रार	नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के सीमा अंतर्गत.
5.	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित पटवारी हल्का के गांव

No. F 7-2/H-2/2010.—In exercise of the power conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955, read with Rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and issue of National Identity Cards) Rules-2003. The Central Government vide order No. SO. 596 (E) dated 15th March 2010 has decided to prepare the Population Register in the Country.

To assist the Registrar General of Citizen Registration in preparation of the data base relating to all persons who are usually residing in Chhattisgarh, the Governor of Chhattisgarh is pleased to appoint the under mentioned District/Sub-District/Local Registrars for discharging duties within their respective jurisdiction in Chhattisgarh from 1st April, 2010.

Sl. No. (1)	State Govt. Officers (2)	Designation (3)	Jurisdiction (4)
1.	District Collector	District Registrar	Respective Jurisdiction
2.	Officer/Officer nominated by/ Administrator/Commissioner in Municipal Corporation.	Local Registrar	Respective Jurisdiction
3.	Tahsildar	Sub District Registrar	Respective Tahsil
4.	Officers/Employees nominated by or Chief Municipal Officer/ Administrator.	Local Registrar	Respective Jurisdiction of Municipality/Nagar Panchayat.
5.	Patwari	Local Registrar	Villages under respective Patwari circle.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2012

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-56/दो-गृह/सामान्य (परीक्षा)/2012.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 21 अगस्त, 2012 से 27 अगस्त, 2012 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

मंगलवार, दिनांक 21-08-2012

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	

(1)	(2)	(3)
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	मंगलवार, दिनांक 21-08-2012	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	बुधवार, दिनांक 22-08-2012	
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्नपत्र-खानज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 22-08-2012

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 23-08-2012

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्नपत्र	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 23-08-2012

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये	

(1)	(2)	(3)
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	शुक्रवार, दिनांक 24-08-2012	
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 24-08-2012	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	

शनिवार, दिनांक 25-08-2012

(1)	(2)	(3)
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	

शनिवार, दिनांक 25-08-2012

51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

सोमवार, दिनांक 27-08-2012

(1)	(2)	(3)
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 23-07-2012 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जून 2012

क्रमांक-एफ 7-26/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बस्तर, निवेश क्षेत्र, जिला बस्तर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

बस्तर, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बालेंगा, दुबेउमरगांव, गुफनी, रेटावण्ड, बेसरापाल एवं सेमलनार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व से : ग्राम सेमलनार, चोलनार, कचनार एवं बांगपाल ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बांगपाल, परचतपाल, टाकरामुड़ा, भाटपाल, भुरसुडी एवं आडावाल ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम आडावाल, भोन्ड, सोलेमेटा एवं बालेंगा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2012

क्रमांक-1748/2823/2011/32—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोरबा, निवेश क्षेत्र, जिला कोरबा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

कोरबा, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दोंदरो, रोगबहरी, जामबहार, रूमगरा, जेल, स्याहीमुडी, गोपालपुर, चोरभट्टी, बरेडीमुडा एवं डुमरमुडा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम डुमरमुडा, सेमीपाली, गजरा, मोंगरा, पुरैना, मडवाढोढा एवं कोसमंदा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कोसमंदा, नरईबोद, गेवरा, चुरैल, रिसदी, पाली, पडनिया, खैरभौना, सोनपुरी, बरबसपुर एवं कुरूडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कुरूडीह, पंडरीपानी, नक्टीखार, भुलसीडीह, हुमरडीह, केसला एवं दोंदरो ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेम उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कलमा प.ह.नं. 26	1.799	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज पहुंच मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं प. . उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 9 जुलाई 2012

क्रमांक/1596/अ.भू-अ.प्र./06/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी [illegible] कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	मोहलई प.ह.नं. 06	0.38	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), द.पू.म. रेल्वे, रायपुर (छ.ग.)	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 जुलाई 2012

क्रमांक/1599/अ.भू-अ.प्र./07/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बघेरा प.ह.नं. 07	0.048	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), द.पू.म. रेल्वे, रायपुर (छ.ग.)	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2012

क्रमांक[illegible]23/अ-82/वर्ष 2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना [illegible] जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	कसही प.ह.नं. 26/34	6.989	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	कसही जलाशय एवं नगर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2012

क्रमांक/726/अ-82/वर्ष 2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	आमालोरी प.ह.नं. 30	0.40	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बैलोदी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 10 जुलाई 2012

क्रमांक/39/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	कस्तुरबोड़ प. ह. नं. 6	0.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	गबौद जलाशय के डूबान हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 27 जून 2012

क्रमांक 5388क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	दर्रा	0.29	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग, धमतरी.	सिर्री, दर्रा, खर्रा, पटेवा मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 12 जून 2012

रा. प्र. क्र. 02 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	भिभौरी प. ह. नं. 45	0.056	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण में अर्जन (पूरक)

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 12 जून 2012

रा. प्र. क्र. 03 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	पैलपार प. ह. नं. 34	0.161	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	डोटूनाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कांसाबेल	चोंगरीबहार प. ह. नं. 16	3.703	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	मैनी एनीकट योजना का मुख्य नहर चैन क्रमांक 640 से 700 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कांसाबेल	बांसबहार प. ह. नं. 16	2.862	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	मैनी एनीकट योजना का मुख्य नहर चैन क्रमांक 578 से 640 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कांसाबेल	शब्दमुण्डा प. ह. नं. 08	1.461	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	मैनी एनीकट योजना का मुख्य नहर चैन क्रमांक 300 से 312 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 01-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुरी	मटिया	1.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 02-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	मुनगापदर	6.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 03-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	गाड़ाघाट	4.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 04-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	लदरा	3.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 05-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	डुमरपीटा	4.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 06-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	सितलीजोर	4.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 07-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	कदलीमुड़ा	6.10	कायपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 08-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	बरही	9.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	बरही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं माइनर नहर बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 09-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	सुकलीभाठा	10.41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	बरही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं माइनर नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	भर्राकुड़ा	5.736	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटसीरा जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	उतरदा	4.93	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	उतरदा जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मानिकपुर	6.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	मानिकपुर जलाशय के नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	धौराभांठा	8.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	धौराभांठा जलाशय के नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	तेंदूभांठा	3.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	धौंराभांठा जलाशय के नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मांगामार	0.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	मानिकपुर जलाशय के नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	सेन्द्रीपाली	11.587	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	धौंराभांठा जलाशय योजना के डूब कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजपाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 27 जून 2012

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	कुकुसदा	5.54	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर, छ.ग.	अमेरा-पण्डरिया झाप-मेडपाड़ मार्ग के कि.मी. 1/10 पर मनियारी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जून 2012

रा.प्र.क्र. 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	सेमरकोना	0.15	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर, छ.ग.	बेलसरी-सेमरकोना मार्ग के कि.मी. 1/4 पर आगर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जून 2012

रा.प्र.क्र. 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	केवईया	0.60	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	जरेली एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जून 2012

रा.प्र.क्र. 04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	जरेली	1.14	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	केवईया एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जून 2012

रा.प्र.क्र. 05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	रामबोड़	10.47	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जून 2012

रा.प्र.क्र. 07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	मोहदी	6.40	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जून 2012

रा.प्र.क्र. 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	बिरकोनी	34.83	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 जून 2012

क्रमांक 23/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	हरदी प. ह. नं. 45	2.17	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	हरदी व्यपवर्तन योजना बायीं नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जून 2012

क्रमांक 24/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	रहटाटोर प. ह. नं. 49	2.70	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रहटाटोर एनीकट पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2012

क्रमांक 25/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	गोंदईया प. ह. नं. 14	18.15	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सिलदहा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2012

क्रमांक 26/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	पेण्डरवा प. ह. नं. 14	5.14	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सिलदहा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2012

क्रमांक 12/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	रहंगी	226.03	रक्षा संपदा अधिकारी, जबलपुर वृत्त (छावनी)	सैन्य छावनी स्थापित करने बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2012

क्रमांक 13/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	तिलसरा	701.92	रक्षा संपदा अधिकारी, जबलपुर वृत्त (छावनी)	सैन्य छावनी स्थापित करने बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2012

क्रमांक 14/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	चकरभाठा	15.73	रक्षा संपदा अधिकारी, जबलपुर वृत्त (छावनी)	सैन्य छावनी स्थापित करने बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक 21/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	सलखा प. ह. नं. 1	25.50	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	नहरनार जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 66/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लोहरसिंह प. ह. नं. 24	1.301	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर (आर.डी. 22840 मी. से आर.डी. 23530 मी. तक) निर्माण का पूरक भू-अर्जन.

भूनि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./12/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिएं प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	भांटागांव प. ह. नं. 102	229/1	410	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-2 रायपुर.	पहाड़ी तालाब कुशालपुर से रिंग रोड होकर खारून नदी (चिंगरी नाला) तक नाला निर्माण योजना हेतु.
			229/2	400		
			231/1	720		
			231/2	170		
			233/2	720		
			234/1	0.490		
		योग	6	2910		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 25 जून 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-2 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	भाटापारा	किरवई प. ह. नं. 10	1.661	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र.-3, तिल्दा, जिला-रायपुर छ.ग.	चक्रवाही वितरक नहर के किरवई माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2012

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन **अधिनियम**, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-भनसुला, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1618.50 वर्गमीटर

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
	(1)	(2)
	39/2, 3, 94, 95	327.15
	39/2, 3, 94, 95	65.96
	39/2, 3, 94, 95	46.28
	39/2, 3, 94, 95	31.22
	39/2, 3, 94, 95	3.32
	39/2, 3, 94, 95	63.24
	39/2, 3, 94, 95	86.40
	92	123.60
	91/2	26.22
	91/2	21.73
	87/1	59.31
	87/1	42.90
	87/1	28.12
	87/1	59.40
	87/1	24.60
	87/1	24.60
	92	202.93
	92	61.62
	92	61.62
	92	81.48
	91/1, 4	176.80
योग	21	1618.50 (21 मकान)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 2 जून 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-04 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-मर्राकोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
810/2, 811/4	0.01
814/3	0.12

	(1)	(2)
	815	0.20
योग	3	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लिमतरा-भाटापारा मार्ग के कि.मी. 13/8 एवं कि.मी. 14/2 में निर्मित बंजारी नाला पुल के पहुंचमार्ग से ग्राम मर्राकोना को जोड़ने के लिए प्रस्तावित पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./05/अ-82/वर्ष 2011-12/1162.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-देवपुरी, प.ह.नं. 114/45
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.356 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	334/53	0.014
	334/8	0.014
	470/6	0.108
	402, 403	0.069
	484/1	0.041
	485/1	0.068
	468/4	0.042
योग		0.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./09/अ-82/वर्ष 2010-11/1163.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-डूमरतराई, प.ह.नं. 115
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.3179 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
342	0.235
350/1	0.029
353/1	0.003
350/4	0.083
350/7	0.003
351/4	0.009
353/1	0.003
353/2	0.105
354/2	0.014

(1)	(2)
357/30	0.133
354/5	0.014
357/18	0.117
357/19, 357/27, 357/34	0.002
357/51	0.027
357/57	0.014
357/68	0.014
357/70	0.014
357/71	0.022
357/85	0.013
357/86	0.012
357/97	0.007
357/99	0.034
357/100	0.052
357/113	0.014
358/4	0.385
243/6, 246/9, 247/2	0.101
244	0.45
311/1	0.182
311/10	0.299
311/20	0.073
341/2	0.008
243/3	0.001
325/8	0.093
333/12, 335/12, 339/7	0.046
334/2*	0.121
334/5*	0.077
334/7*	0.077
334/10*	0.057
334/3*	0.024
336	0.178
334/4*	0.028
334/8*	0.085
337/2	0.073
335/3	0.13
335/8	0.101
337/2	0.073
337/4	0.004
339/2, 341/1	0.207
341/6	0.101
340-0.304, 341/5-0.101	0.405
341/10	0.101
341/9	0.101
341/11	0.101
341/12	0.0929
341/13	0.093
240/3	0.012

(1)	(2)
241/1	0.012
343/1	0.017
343/7	0.101
346/5, 346/14	0.28
346/20	0.028
347/3, 5, 6	0.23
347/4	0.068
343/6	0.03
347/10	0.102
347/11	0.17
347/12	0.009
347/1	0.128
308/13	0.408
308/14	0.809
308/16	0.053
308/17	0.053
308/19	0.255
308/18	0.15
308/24	0.409
योग	8.317

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./06/अ-82/वर्ष 2011-12/ 1164.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-टिकरापारा, प.ह.नं. 114/45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.297 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
564/6	0.047
694/9	0.014
695/4	0.014
659/43	0.032
714/18	0.060
714/14	0.061
710/39	0.124
710/40	0.120
577/4	0.077
358/3	0.008
659/21	0.014
665/37, 665/38	0.011
659/28	0.028
659/49	0.014
659/32	0.014
659/64	0.047
694/44	0.076
659/3	0.051
676/6	0.028
580/4	0.117
673/14	0.014
693/11	0.265
710/8	0.170
665/1	0.055
564/9	0.046
673/11	0.014
673/11	0.012
673/11	0.012
673/10	0.046
673/64	0.014
665/81	0.037
689/9	0.203
664/11	0.053
695/3	0.051
694/44	0.076
678/3	0.340
679	0.174
680	0.943
696	0.014
688/8	0.074
691/6	0.125
691/7	0.041
691/5	0.057
691/10	0.210

(1)	(2)
659/82	0.014
706/51	0.009
692/28	0.025
700/1	0.006
669/4	0.028
700/1	0.019
665/39, 665/40	0.022
673/62	0.028
659/20	0.014
659/61	0.014
694/28	0.019
659/61	0.014
673/62	0.028
659/20	0.014
665/39, 665/40	0.022
706/30	0.018
योग	4.297

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./03/अ-82/वर्ष 2011-12/1165.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-बोरियाखुर्द, प.ह.नं. 118

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
209/1	0.223
226/3	0.018
191/16	0.011
257/3, 258/5	0.007
योग	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./06/अ-82/वर्ष 2010-11/1166.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-टिकरापारा, प.ह.नं. 114/45

(घ) लगभग क्षेत्रफल-23.7423 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
563/1	0.138
563/4	0.227
563/16	0.405
564/1	0.140
564/72	0.219
565/2	0.433
565/9	0.202
565/11	0.810
567/1	0.203
568/2	0.295
568/3	0.259
568/5	0.316
568/1	0.109
568/4	0.202
571/1	1.307
572/1	0.026
572/2	0.499
572/3	0.135
577/2	0.081
577/3	0.154
578/2	0.057
578/3	0.057
585/2	1.566
586	0.304
587/1	0.166
587/2	0.166
587/3	0.166
587/4	0.328
587/5	0.045
587/6	0.121
573/11	0.142
567/3	0.202
578/1	0.002
568/6	0.032
569	0.231
571/2	0.028
572/4	0.110
573/1	0.267
573/16	0.002
573/19	0.011
573/20	0.046
573/22	0.059
573/23	0.022
573/28	0.080
578/4	0.006
578/6	0.037
580/6	0.041
580/6	0.182
580/7	0.182
580/15	0.005
583/5	0.016
583/1	0.024
582/3	0.046
588	0.065

(1)	(2)	(1)	(2)
589/1	0.411	594/2*	0.405
589/2	0.410	659/1	0.086
589/3	0.253	659/16	0.014
589/6	0.253	659/17	0.014
589/4, 589/5	0.405	659/19	0.014
665/3	0.031	659/21	0.014
665/4, 665/5	0.047	659/22	0.014
665/7	0.007	659/23	0.017
665/16	0.008	659/36	0.028
665/17	0.004	659/42	0.032
665/42	0.011	659/43	0.032
665/44	0.011	659/44	0.028
665/46	0.029	659/46	0.014
665/47	0.033	659/47	0.028
665/49	0.016	659/48	0.014
665/58	0.028	659/50	0.027
665/60	0.022	659/53	0.014
665/64	0.026	659/56, 57	0.040
665/70	0.011	659/77	0.121
665/72	0.011	659/61	0.014
667/3	0.025	659/62	0.011
667/19	0.009	659/71	0.014
669/4	0.027	659/73	0.014
670/9	0.025	659/81	0.010
670/11	0.014	664/1	0.202
670/18	0.037	664/3	0.445
670/27	0.145	664/12	0.013
670/28	0.014	664/22	0.052
670/36	0.014	664/32	0.046
670/50	0.005	694/1	0.163
673/9	0.014	694/9	0.015
673/12	0.023	694/10	0.017
673/40	0.014	694/12	0.009
673/48	0.028	694/14	0.009
673/50	0.010	694/21	0.021
673/55	0.014	694/22	0.009
673/63	0.018	694/24	0.014
689/3	0.004	694/30	0.009
676/15	0.014	695/14	0.014
676/16	0.028	695/15	0.014
676/22	0.014	696/13	0.056
677/10	0.013	696/19	0.033
681	0.405	696/24	0.019
693/4	0.007	697	0.413
693/9	0.028	682/3	0.008
693/13	0.009	682/4	1.012
594/1*	0.524	686/1	0.741

(1)	(2)	(1)	(2)
688/1	0.031	700/29	0.011
688/2	0.031	700/33	0.013
689/1	0.060	706/9	0.010
678/1	0.004	706/20	0.019
710/1	0.012	706/21	0.009
692/11	0.202	706/23	0.019
692/12	0.138	706/26	0.009
692/15	0.089	706/27	0.009
692/16	0.142	706/29	0.018
692/17	0.202	706/32	0.009
692/18	0.202	706/34	0.009
692/19	0.028	706/35	0.011
692/3	0.263	706/38	0.009
692/4	0.182	706/40	0.009
692/6	0.097	706/42	0.010
692/7	0.085	706/44	0.012
692/8	0.081	706/46	0.012
692/9	0.081	706/48	0.012
692/24	0.014	706/55	0.018
692/27	0.027	706/60	0.009
692/28	0.205	706/61	0.009
698/1	0.004	706/76	0.014
699/1	0.004	706/77	0.009
700/1	0.006	706/78	0.018
700/1	0.022	706/80	0.009
700/1	0.011	706/81	0.024
700/34	0.009	706/82	0.039
700/1	0.019	706/86	0.009
700/1	0.009	710/2	0.058
700/1	0.023	710/6	0.006
700/1	0.009	710/10	0.141
700/19	0.014	710/12	0.005
700/10	0.021	710/15	0.053
700/1	0.014	710/18	0.019
700/1	0.019	710/25	0.014
700/1	0.009	710/28	0.014
700/4	0.009	710/39	0.124
700/5	0.009	710/31	0.009
700/15	0.011	710/32	0.009
700/19	0.014	710/33	0.009
700/21	0.009	710/34	0.009
700/22	0.011	710/51	0.121
700/23	0.011	714/1	0.069
700/24	0.010	714/4	0.023
700/25	0.009	714/5	0.023
700/26	0.009	714/7	0.166
700/27	0.009	714/10	0.009

(1)	(2)
714/21	0.014
694/45	0.009
700/38	0.014
704/4, 711/11	0.571
704/5, 711/5	0.567
योग	23.742

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2012

क्रमांक 142/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 42/अ. 82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है के नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-पलौद, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-73.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
11	0.42
22	0.22
33	0.40
38	0.20
39	0.21
40	0.39
43	0.40
44	0.43
45	0.44
47	0.37
48	0.47
49	0.44
50	0.46
76	0.38
77	0.56
113	0.59
114	0.06
120	0.22
121	0.68
122	0.41
123	0.58
129	0.47
143/2	0.20
148/2	0.06
166	0.96
167/2	0.47
168	0.71
169	0.51
173	0.40
176	0.22
181	0.51
183	0.09
186	0.20
188	0.07
191	0.62
197	1.42
199	0.49
205	5.49
206	0.72
207	0.44
208	0.15
209	0.23
210	0.27
211	0.23
212	0.47
214	0.02
215	0.97
1350	1.6[illegible]
1360	0.2[illegible]
1365	0.35
1371	0.22
1378/1	0.40
1378/2	0.30
1379	0.24
1380	0.18

(1)	(2)
1382	0.30
1383	0.12
1384	0.20
1395	0.17
1412	0.15
1413	0.25
1414	0.24
1415	0.16
1416	0.12
1417	0.28
1419	0.54
1420/1	0.22
1420/2	0.08
1420/3	0.18
1420/4	0.14
1421	1.58
1422	0.29
1425	0.20
1426	0.18
1430/1	0.08
1432	0.08
1433	0.03
1434	0.05
1435	0.54
1436	0.05
1437	0.11
1438/2	0.40
1440	0.24
1441	0.30
1443	0.14
1447	0.30
1448/1	0.28
1449	0.07
1450	0.09
1451	0.04
1454	0.29
1455	0.12
1456	0.22
1459	0.36
1460/2471	0.28
1496	4.65
1497	0.35
1502	0.22
1503	0.18
1514	0.48
1523	0.47
1530	0.17
1531	0.18
1532	0.14
1534/1	0.36
1534/2	0.35
1537	0.52
1538/1	0.10
1538/2	0.40
1540	0.03
1541	0.02
1542	0.02
1543	0.08
1546	0.24
1547	0.42
1548	0.24
1549/1	0.40
1549/2	0.26
1552	0.18
1553	3.14
1555/2	0.67
1560/1	0.20
1561	0.29
1562	0.27
1564	0.75
1565	0.28
1566	0.12
1569	0.61
1570	0.33
1571	0.19
1572	0.13
1575	0.19
1576	0.36
1638/1	0.49
1638/2	0.50
1639	0.40
1640/1	0.25
1640/2	0.25
1723	1.67
1724	0.56
1726	0.11
1728	0.32
1729/2	0.06
1730	0.06
1753	0.48
1754	1.82
1755	0.47
1757	0.71
1760	1.37
1762	3.29
1763	0.31

(1)	(2)
1771	1.37
1773	0.93
1775	1.05
1781/3	0.58
1788	0.39
योग 156	73.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत योजना क्षेत्र हेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2012

क्रमांक 143/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 52-अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तूता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-50.314 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/6	0.242
1/9	0.368
2/7	0.235
2/9	0.081
5/1	0.619
5/2	1.271
5/3	0.809
5/4	0.162
6/1	0.811
6/3	0.811
6/4	0.586
7/2	0.065
8/2	0.405
8/4	0.933
9	1.118
10	1.068
11	0.138
13/3	0.259
16/12	0.405
18/2	0.199
18/3	0.299
18/4	0.291
47/3-4	1.958
47/7	1.416
82/1	0.405
97/5	1.619
105/7	0.045
118	0.664
182	0.251
183	0.326
184/1	0.852
184/2	0.852
190	1.056
228/1	0.474
240/1	0.341
241/1	0.228
241/3	0.227
242/1	0.486
242/3	0.020
251/3	0.206
251/7	0.190
257/1	0.040
257/3	0.069
266/1	0.040
273/1	0.259
276/2	1.368
277	0.129
301/3	0.376
303/9	1.000
322/4	0.056
327	0.372
334/5	0.053
334/6	0.182
346/1	0.295
346/5	0.036

(1)	(2)
407/2	0.809
408/9	0.097
411/9	0.459
412/1, 412/5, 412/6, 414/3	0.169
412/2, 412/4, 414/2	0.154
416	0.089
422/1	0.178
422/2	0.247
422/3	0.064
423/1	0.032
423/2	0.233
424/9	0.324
424/10	0.356
424/12	0.081
425/3	0.341
425/4	0.154
426	0.134
427/2	0.202
429	0.109
430	0.105
432	0.077
433/1	0.089
439	0.425
442/1	0.020
442/2	0.170
444/2	0.405
453/1	0.263
453/2	0.246
453/5	0.680
455	0.134
460/1	0.473
460/2	0.478
460/3	0.473
461	0.174
465/1	0.045
465/4	0.243
465/5	0.243
465/6	0.364
465/7	0.348
465/9	0.239
465/10	0.234
465/11	0.081
465/12	0.073
465/13	0.081
465/14	0.344
465/15	0.178
466	0.930
467	0.247
468	0.251
469/1	0.231
469/2	0.231
470	0.117
471/4	0.405
472/1	2.710
473	0.707
474	0.073
483	0.045
511/2	0.008
549/2	0.105
561/2	0.162
561/3	0.121
561/4	0.202
563/2	0.202
633	0.130
636	1.033
648	2.736
682/3	0.050
683	0.032
684	0.061
688/2	0.211
720	0.174
725/1	0.089
729/6	0.202
734/1	0.405
747/1	0.206
751/3	0.202
807	0.053
योग 132	50.314

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर के विकास कार्य (ग्राम तूता योजना क्षेत्र) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक/818/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-हुच्चेटोला, प. ह. नं. 31/46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.64 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57	0.34
58	0.32
393	0.17
133/1	1,58
6	0.60
30/1	0.75
37	0.56
55/2	0.15
8	0.55
14	1.26
48/2	0.17
71	0.57
74	0.18
48/1	0.16
30/2	0.75
60	0.16
28	1.37
32	0.41
46	0.13
68	0.65
73	0.16
94	1.69
375	0.09
62	0.77
379	0.05
55/1	0.15
380	0.22
41	0.27
67	0.76
377	0.10
44	0.28
53	0.18
394	0.03
43	0.18
54	0.21
56	0.08
27/1	1.92
29	0.33
31	1.22
27/2	1.92
5	0.49
34	0.32
59	0.21
398/479	0.17
361/2	0.70
42	0.52
398/478	0.03
3	0.12
7	0.14
379	0.13
382	0.44
376	0.41
361/1	0.69
61	0.40
4	0.45
योग 55	26.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बालोद, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक/820/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भर्रीटोला, प. ह. नं. 30/46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	384	0.22
	389	1.99
	390/1	0.29
	390/2	0.10
	391	0.18
	392	0.09
	385	0.88
	386	0.49
	387	0.27
	388	0.16
	413	1.44
योग	11	6.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक/822/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कुदारी, प. ह. नं. 30/46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.87 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10	0.59
	5	1.59
	31	0.69
योग	3	2.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक/824/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बालोद
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-करतूटोला, प. ह. नं. 31/46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.22
12	0.05
30/11	0.20
31/3	0.12
30/9	0.07
32/4	1.56
32/7	0.20
32/2	0.26
32/6	0.22
32/3	0.46
32/5	0.22
30/10	0.16
32/1	0.20
30/6	0.36
30/4	0.08
30/8	0.14
30/5	0.27
31/2	0.12
33	0.08
31/1	0.12
9	0.29
योग 21	5.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक/826/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बालोद
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-मंगचुवा, प. ह. नं. 30/46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-26.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.67
3	2.19
4	0.21
160/1	0.62
5	0.08
231	0.07
7	0.19
9	0.16
17	0.05
13	0.34
16	0.72
19	0.11
23	0.09
20	0.011
30	0.10
27	0.17
29	0.57
32	0.09
22	0.27
28	0.23
38	0.24
145	0.07
26	0.03
96	0.04
24	0.14

(1)	(2)
222	0.15
224	0.07
239	0.32
241	0.14
513	0.12
221	0.12
238	0.11
240	0.12
242	0.30
512	0.13
40	0.13
46	0.30
48	0.18
163	0.35
500	0.36
49	0.43
162	0.32
245	0.17
501	0.028
166	0.05
168	0.07
171	0.21
229	0.08
244	0.28
498	0.35
95	0.25
342	0.16
232/1	0.14
232/2	0.08
232/3	0.08
236	0.03
237	0.20
25	0.55
31	0.14
160/2	0.40
164/1	0.08
164/5	0.03
234/8	0.08
234/10	0.05
164/2	0.07
234/2	0.08
234/5	0.18
234/11	0.05
164/3	0.20
234/7	0.20
164/7	0.04
164/9	0.16
234/3	0.08
234/4	0.17
164/8	0.12
234/9	0.31
218	0.16
219	0.12
225	0.51
164/4	0.08
164/6	0.08
134/6	0.19
230	0.91
232/2	0.24
233/2	0.06
232/4	0.25
233/1	0.06
234/1	0.13
503	0.20
496	0.11
494/5	0.32
495	0.24
510	0.20
499/985	0.54
497	0.10
511	0.48
170/3	0.17
44/1	0.33
44/2	0.16
515/1	0.21
515/2	0.11
58	0.20
167	0.06
169	0.07
172	0.25
89	0.60
506/1	0.42
223	0.06
170/1	0.13
170/2	0.18
6	0.74
8	0.16
18	0.06
146	0.12
योग 117	26.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 21 जून 2012

क्रमांक/872/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2011-12.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बालोद
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-डुमरटोला, प. ह. नं. 30/46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	173	0.50
	179/1	0.14
	177/1	0.37
योग	3	1.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत डुबान/नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-गोर्रा, प. ह. नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.597 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47	0.041
254	0.137
48/3	0.016
61	0.069
71/4	0.012
241/2	0.065
87/2	0.101
93/5	0.024
248	0.008
255/2	0.014
255/6	0.014
85	0.006
92/1	0.073
48/3	0.069
48/14	0.02
62	0.153
72/3	0.035
83/3	0.141
92/2	0.028
224/1	0.041
249/2	0.004
255/3	0.014
255/7	0.014
86	0.004
243	0.004
48/5	0.081
57	0.053
71/3	0.065
73/1	0.085
93/4	0.097
93/2	0.065
242/2	0.004
255/1	0.014
255/4	0.014

(1)	(2)
264	0.012
योग 35	1.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-केलो परियोजना की तारापुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 73/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-टपरदा, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.331 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
138/14	0.028
138/12	0.053
138/11	0.024
138/7	0.045
138/8	0.113
138/13	0.069
290/1	0.113
137/1	0.093
145/2	0.045
145/3	0.024
145/4	0.024
309/1क	0.004
192	0.028
193/2	0.036
272/1	0.016
219/1	0.004
219/2	0.040
218	0.004
219/3	0.016
234	0.045
233	0.012
308/3	0.085
145/7	0.036
145/11	0.045
231/1	0.032
145/14	0.045
146/3	0.032
291/2	0.032
145/1	0.004
146/4	0.036
151/2क	0.028
273/1	0.024
319/4	0.101
231/6	0.036
230/2	0.028
257	0.036
258	0.008
259/1	0.045
260/1	0.012
260/2	0.049
260/3	0.049
275/2	0.024
252/1	0.008
144/1	0.081
146/5	0.012
151/5	0.008
148	0.004
152	0.036
274/2	0.053
51/2ख	0.041
157	0.049
156	0.004
160	0.004
221/2	0.012
277/1	0.113
291/1	0.004
291/3	0.024
308/1	0.069
317	0.121

(1)	(2)
312/3	0.121
319/3	0.077
319/2	0.093
146/1	0.117
236/2	0.045
191	0.041
229/2	0.053
161	0.069
163	0.041
175	0.004
230/1	0.041
276	0.016
174/1	0.073
181/1	0.020
176/4	0.012
181/2	0.012
182/1	0.020
149/1	0.004
149/5	0.008
150/1	0.020
290/2	0.045
150/2	0.020
290/3	0.053
221/1	0.004
275/1	0.020
144/2	0.036
योग 85	3.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-केलो परियोजना की बेलपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक 2421/खनि/2012.—छ.ग. गौण खनिज नियम 1996 के नियम-12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बिलासपुर (छ.ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम (3)	ख.नं. (4)	रकबा (5)	खनिज (6)	भूमि का प्रकार (7)
बिलासपुर	मस्तूरी	मोहतरा	140/2-3-4-5	1.50 एकड़	चूनापत्थर	निजी भूमि
बिलासपुर	मस्तूरी	जयरामनगर	763	1.71 एकड़	चूनापत्थर	निजी भूमि

राम सिंह,
कलेक्टर.